राजस्व अपील संख्या 303 / 2022

अनवान

धनाराम वगैरा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

दिनांक 16–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित
आदेश क्रमांक / प्र.ग.स / 2021 / 381 दिनांक 07–02–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत
की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से
अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–02–2022 का
अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी
अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन
किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार
करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश
क्रमांक / प्र.ग.स / 2021 / 381 दिनांक 07–02–2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड
किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली
पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार / तहसीलदार द्वारा मौका
निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो / हितबद्ध लोगो
की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे ।
तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा
तथा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत
निस्तारण करें। अगर मौके पर कदमी रास्ता है तो किसी भी पक्ष द्वारा रास्ता
बंद नही किया जावे संबंधित तहसीलदार नियमानुसार इसकी सुनिश्चितता
करे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है।
पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय
लिखाया जाकर सुनाया गया ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर